राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः–स. 3(3)(2) स्था/मंत्रा./अभि./2018/ 9881-93 दिनांकः– 13/7/18

–:: आदेश ::–

अभियोजन विभाग में अत्यधिक संख्या में कनिष्ठ सहायक के पद रिक्त होने के कारण सेवानिवृत मंत्रालयिक सेवा के कार्मिको को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ. 17(10) ड़ी.ओ.पी. ए.ाा/94 दिनांक 08.02.2018 में वर्णित शर्तो के अनुसार नियमित नियुक्ति दिंनाक से राज्य कर्मचारियों को ए.सी.पी. नियमों के तहत तीन ए.सी.पी. देय होती है इसलिये उच्च पद से सेवानिवृत कार्मिक की, यदि निम्न पद पर संविदा पर पुनर्नियुक्ति की जाती है तो निम्न पर पर नियुक्त ऐसे कार्मिक को उस पद से सम्बन्धित सेवा के निम्नतम पद के लिये निर्धारित ग्रेड–पे से ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत योग्य तीसरी उच्च ग्रेड–पे के अनुसार (परिशिष्ठं–क) समेकित पारिश्रमिक के आधार पर निम्नानुसार सेवानिवृत मंत्रालयिक कर्मचारियों को उनके नाम के सामने कालम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में कनिष्ठ सहायक के पद पर तुरन्त प्रभाव से संविदा पर अस्थाई रूप से नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	आवेदक का नाम	सेवानिवृति से पूर्व का पद एंव विभाग	जन्म तिथि	कार्यालय जहाँ नियुक्ति की जानी है।	वि.विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	श्री अशोक कुमार शर्मा	वरिष्ठ रीडर न्याय विभाग	15.09.54	एडीपी अजमेर	प्रथम बार
2.	श्री लक्ष्मीनारायण राजपूत	कनिष्ठ सहायक, शिक्षा विभाग	07.06.54	एडीपी चित्तोडगढ	प्रथम बार
3.	श्री भजन बिहारी	वरिष्ठ पुस्तकालयध्यक्षशिक्षा विभाग	31.01.57	एडीपी चित्तोडगढ	प्रथम बार
4.	श्री सुभाष गुप्ता	वरिष्ठ सहायक, राजस्व विभाग	12.09.57	एडीपी जयपुर शहर प्रथम	प्रथम बार
5.	श्री गजेन्द्र प्रसाद माथुर	वरिष्ठ सहायक, राजस्व विभाग	01.12.57	एडीपी नागौर	प्रथम बार
6.	श्री रामलाल	कनिष्ठ सहायक, राजस्व विभाग	06.07.57	एडीपी जालौर	प्रथम बार
7.	श्री बद्रीनारायण शर्मा	सहायक प्रशासनिक अधिकारी, समेकित बाल विकास विभाग	20.07.57	एडीपी जयपुर शहर द्वितीय	प्रथम बार
8.	श्री नरपत सिंह पुरोहित	वरिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	10.03.57	एडीपी पाली	द्वितीय बार
9.	श्री अल्लाह नूर	सहायक प्रशासनिक अधिकारी, अभियोजन विभाग	25.03.56	एडीपी सिरोही	द्वितीय बार
10.	श्री रामकरण	वरिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	01.04.57	एडीपी कोटा	द्वितीय बार

1 कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 17(10) ड़ी.ओ.पी. ए.ाा/94 दिनांक 08.02.2018 के क्रम में नियुक्ति आदेश संबन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर जारी करेगा।

25/50

2 पुनः नियुक्त अधिकारी सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में राशि रूपये 500/– के स्टाम्प पर अनुबन्ध पूर्ण कर हस्ताक्षरित करेंगे।
3 चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने का शपथ पत्र सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को प्रस्तुत करेंगे।
4 सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार अन्य न्यायालयों में भी कार्यव्यवस्था के लिए निर्देशित कर सकता है।
5 समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अध्यधीन होगी।
6 पुनः नियुक्ति सेवानिवृत मंत्रालयिक कर्मचारियों की सेवा **उक्त आदेश के जारी होने की दिंनाक से एक वर्ष तक** अथवा नियमित कार्मिकों के पदस्थापन में से जो भी पहले हो की अवधि तक दी जाती है संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाऐ किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।
7 इनके पारिश्रमिक का भुगतान बजट मद 2014–00–114–02–01–(01) संवेतन व्यय (स्टेट फण्ड) से प्रभार्य होगा।

यह आदेश गृह (ग्रुप–10) विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी. सं. RAJ-E 00054/H-10/18 दिनांक 11.07.2018 के आधार पर जारी किया जा रहा है।

सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को निर्देश प्रदान किये जाते है कि सेवानिवृत कार्मिक को वर्णित शर्तो के अनुरूप कार्यग्रहण करवायें, तथा आपके कार्यालय से सम्बन्धित संविदा कर्मचारी को नियुक्ति प्रदान करने के पश्चात उपस्थिति की सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

-sd-
(रमेश कुमार शर्मा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अनुभागाधिकारी गृह(ग्रप–10) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजि सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
3. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन, ...
4. रक्षित पत्रावली।

निदेशक. अभियोजन
राजस्थान जयपुर